संख्या–2885 / 49–3–2010–100(25) / 92टीसी– ।।।

प्रेषक,

राज नाथ,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 2010

विषय : एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 237–39 / मानी0सेल / लेखा, दिनांक 08–9–10 एवं शासनादेश सं01160 / 49–3–2010–100(25) / 92,टीसी–111, दिनांक 16–4–2010 के अनुक्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष रू0 45.00 लाख ऋण, रू0 200.00 लाख अंशपूॅजी, रू0 26.00 लाख परियोजना हेतु अनुदान तथा रू0 46.00 लाख पी0आई0टी0 हेतु अनुदान कुल रू0 317.00 लाख (रू0 तीन करोड़ सत्रह लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– स्वीकृत धनराशि में से पी0आई0टी0 हेतु अनुदान की धनराशि का 50प्रतिशत अर्थात् रू0 23.00 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा 50 प्रतिशत धनराशि रू0 23.00 लाख, रू0 26.00 लाख परियोजना हेतु अनुदान, रू0 45.00 लाख ऋण तथा रू0 200.00 लाख अंशपूॅजी अर्थात् कुल रू0 294.00 लाख (रूपया दो करोड़ चौरानबे लाख मात्र) एन0सी0डी0सी0 द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति किया जायेगा। उक्त धनराशि आवश्यकतानुसार निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0 प्र0 द्वारा निर्दिष्ट कार्य में व्यय करने हेतु सम्बन्धित पी0आई0ए0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

110/S.T.
25.10.10
ओ0 राजवंशी
Go upload करें
21/10/10

3– उक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत की जा रही है :–

(1) पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध हो जाने पर वर्ष 2010–11 में स्वीकृत इस सम्पूर्ण धनराशि का आहरण एक मुश्त न किया जाय । आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से किश्तों में आहरण किया जाय तथा उक्त धनराशि जिन मदों में स्वीकृत की जा रही है, उन्हीं मदों में नियमानुसार व्यय की जायेगी। इसके अतिरिक्त बजट में व्यवस्थित अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व निबधक, सहकारी समितियॉ, उ0 प्र0 द्वारा इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी कि लाभार्थी

...2 / –

समितियों द्वारा ऋण का प्रतिदान एवं ब्याज का संदाय नियमित रूप से शासन को किया जा रहा है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिये जाये तथा यह भी देखा जाए कि जिन समितियों के पक्ष में स्वीकृतियॉ जारी की जा रही है क्या वे लाभ अर्जन की स्थिति में है?

(2) स्वीकृत अनुदान की धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तो के अनुसार ही व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की परियोजना के निर्धारित पैटर्न पर राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय–समय पर प्राप्त एवं निर्गत होने वाली शर्तो के अनुरूप ही नियंत्रित होगी।

(4) इन शर्तो के अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक समितियॉ,उ0प्र0, लखनऊ की होगी।

(5) आवश्यक उपयोग प्रमाण–पत्र एवं इसकी सूचना यथासमय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध कराना होगा और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही वर्ष की अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाना एवं भौतिक प्रगति की सूचना भी शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(6) उपरोक्त पैरा–1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नही लायी जायेगी। लेखों का लेखा परीक्षण मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उ०प्र० द्वारा किया जायेगा तथा लेखों का लेखा परीक्षण महालेखाकार, उ०प्र० द्वारा भी किया जा सकता है।

(7) उन्हीं समितियों को चयनित किया जाये जो मार्गदर्शिका के अनुसार लाभ अर्जित करने की स्थिति में हो तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि अंशधन देने के बाद यह समितियाँ आर्थिक रूप से उपादेयता की स्थिति प्राप्त कर लेगी।

(8) योजना के अनुश्रवण मानक निर्धारित कर उद्देश्यों की पूर्ति की जानी सुनिश्चित की जाये।

(9) वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–9–2010 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

4– इस शासनादेश के प्रस्तर–3 के बिन्दु संख्या–1 से 09 में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियन्त्रक/मुख्य/विशिष्ट लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जायेगा एवं उनका यह दायित्व होगा कि उक्त सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त विभाग/शासन को दी जायेगी।

...3/–

5– उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा :–

लेखाशीर्षक :–	**(धनराशि लाख रूपये में)**
"2425– सहकारिता – आयोजनागत	
800– अन्य व्यय	72.00
04– एकीकृत विकास परियोजना (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	
27– सब्सिडी	
"4425– सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत	
200– अन्य निवेश	200.00
05– एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं में अंशपूँजी विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	
30– निवेश / ऋण"	
"6425– सहकारिता के लिय कर्ज–आयोजनागत	
800– अन्य कर्ज	45.00
04– एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	
30– निवेश / ऋण"	
योग	**317.00**

(रू0 तीन करोड़ सत्रह लाख मात्र)

6– राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की अनुदान धनराशि रू0 49.00 लाख (रूपये उन्चास लाख मात्र) की प्राप्तियॉ लेखा शीर्षक " 0425– सहकारिता–800– अन्य प्राप्तियॉ– 03– राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त अनुदान " में एवं ऋण रू0 245.00 लाख (रूपया दो करोड पैतालिस लाख मात्र) की प्राप्तियॉ लेखा शीर्षक "6003–राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण– 108–राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज–18–सहकारिता " के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः ई–2–645 / दस–2010, दिनांक 20–10–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राज नाथ)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–2885(1) / 49–3–2010–100(25) / 92टी0सी0– ।।। तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उप महालेखाकार(राजकोष एवं वी.एल.सी.) कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) –प्रथम, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

4 / –